संख्या–सम्ब0 178 / सत्तर–6–2012–2(38) / 2012

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ: दिनांक: 03 अगस्त, 2012

विषय:– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / सम्ब0 / 1135 / 2012, दिनांक 05.06.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन वैष्णवी डिग्री कालेज, खरका डाबर, मेजा, इलाहाबाद को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास एवं गृहविज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2012 से आगामी तीन वर्षों हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र 'बी' में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राध्यापकों की नियमानुसार नियुक्ति कर उनपर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

(2) महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियां आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा।

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या–सम्ब0 178(1) / सत्तर–6–2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद।
3. अवर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्धक, वैष्णवी डिग्री कालेज, खरका डाबर, मेजा, इलाहाबाद।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

KL154

प्रतिलिपि पत्र संख्या-सम्ब0 178/सत्तर-6-2012-2(39)/2012 दिनांक 03अगस्त 2012 द्वारा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

आपके पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./1135/2012, दिनांक 05.6.2012 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार ने उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन वैष्णवी डिग्री कॉलेज, खरका डाबर, मेजा, इलाहाबाद को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास एवं गृहविज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2012 से आगामी तीन वर्षों हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र बी में इंगित समस्त कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा ।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य एवं प्राध्यापकों की नियमानुसार नियुक्ति कर उन पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा ।
3. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी ।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

(2) महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियां आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/2060/2011 दिनांक 5/9/12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक, वैष्णवी डिग्री कालेज, खरका डाबर, मेजा, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि शासन के सम्बद्धता आदेश में वर्णित निर्देशों का अनुपालन समयावधि के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करें । माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत 07 सेक्शन (प्रत्येक सेक्शन 60छात्र) कुल 420 सीट्स निर्धारित की जाती है। विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राचार्य, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग पत्र एवं अनुबन्ध पत्र(छायाचित्र सहित) तथा प्रबन्धक का शपथ पत्र (छायाचित्र सहित) विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना एवं शासन के सम्बद्धता पत्र में इंगित कमियों की पूर्ति समय-सीमा के अन्दर कराया जाना सुनिश्चित करें । अन्यथा की स्थिति में प्रदत्त सम्बद्धता की अनुज्ञा वापस लिए जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
   उक्त के साथ महाविद्यालय का वेबसाइट, ई-मेल, फोन नं0 आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
2. सहायक कुलसचिव(परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
3. सहायक कुल सचिव (अतिगोपनीय), सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर ।
4. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
5. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(सैय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

संख्या–सम्ब0 798/सत्तर–6–2013–2(838)/2013

प्रेषक,

दिलीप कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक : 19 नवम्बर, 2013

विषयः– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/4260/2013, दिनांक 24.10.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन वैष्णवी महाविद्यालय, खरका डाबर मेला, इलाहाबाद को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2013 से आगामी तीन वर्षों हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी हैः–

1. महाविद्यालय प्रपत्र–बी में इंगित अनुमोदित प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र, अनुबन्ध पत्र एवं कार्यभार ग्रहण आख्या तथा अनुमोदित प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध नहीं है, से सम्बन्धित कमियों को पूरा कर लेगा।
2. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या–सम्ब0 798(1)/सत्तर–6–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद।
3. प्रबन्धक, वैष्णवी महाविद्यालय, खरका डाबर मेला, इलाहाबाद।
4. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

प्रतिलिपि पत्र संख्या–सम्ब0 798/सत्तर–6–2013–2(838)/2013 दिनांक 19.11.2013 द्वारा अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./4260/2013 दिनांक 24.10.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन वैष्णवी महाविद्यालय, खरका डाबर, मेजा, इलाहाबाद को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, एवं वनस्पति विज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2013 से आगामी तीन वर्षों हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

1. महाविद्यालय प्रपत्र–बी में इंगित अनुमोदित प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र, अनुबन्ध पत्र एवं कार्यभार ग्रहण आख्या तथा अनुमोदित प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में प्रामाणिक अभिलेख उपलब्ध नहीं है, से सम्बन्धित कमियों को पूरा कर लेगा।
2. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2861/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।
5. रिट याचिका संख्या–61808/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(680)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/4606/2013 दिनांक 10/12/13

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रबन्धक/सचिव, वैष्णवी महाविद्यालय, खरका डाबर, मेजा, इलाहाबाद को उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुसार सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन करने हेतु प्रेषित है। स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत 04 सेक्शन (02 सेक्शन बायोग्रुप एवं 02 सेक्शन मैथ्स ग्रुप) 60 छात्र प्रति सेक्शन अर्थात 240 सीट्स निर्धारित की जाती है।
2. उप कुलसचिव (सम्ब0) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर।
3. सहायक कुलसचिव (सम्ब0), सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर।
4. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर।
5. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव